# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

| प्रा0पत्र संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | 2024/13 | 05.01.2024 | 30.04.2024 |

1. ओमप्रकाश पुत्र सुमेर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामरति पुत्री जयनरायण पत्नी श्री सुवेसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिहाली तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा राज0।
2. सौभाग्यवती उर्फ भागवती पुत्री जयनारायण पत्नी वीर सिंह जाति अहीर निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा।
3. कौशल्या उर्फ कोली पुत्री जयनारायण पत्नी राजवीर यादव निवासी ग्राम रालियावास तहसील व जिला रिवाडी हरियाणा।
4. कृष्ण कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवास ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
5. सुमेर सिंह पुत्री जुगलाराम उर्फ जुगल किशोर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
6. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
7. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री अनिल कुमार प्रजापत –वकील प्रार्थी
02. श्री मूलचन्द चौधरी –वकील अप्रार्थी सं0 1, 2 व 4
03. श्री दिनेश यादव –वकील अप्रार्थी सं0 3
04. श्री कमल सिंह पोसवाल –वकील अप्रार्थी सं 5

## –:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलक्टर अलवर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुमेर सिंह बनाम रामरति वगै0 वाद सं0 1/30 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक कलक्टर अलवर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सुमेर सिंह बनाम रामरति वगै0 वाद सं0 1/30 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में मिन प्रार्थी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है तथा जिनकी नकले वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को दिलाई गई तत्पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा जवाब के लिए समय चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी सं0 5 ने दावा दायर किया है। न्यायहित में दोनों प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण एक साथ किया जाना आवश्यक है। अन्यथा परस्पर विरोधाभासी निर्णय होने की संभावना रहेगी है। इसलिए मिन प्रार्थी के अधिवक्ता ने गत पेशी दिनांक 02.01.2024 के यह निवेदन किया था कि क्रॉस टी.आई. प्रा0पत्र का जवाब आने के बाद दोनों प्रा0पत्रों का एक साथ बहस सुनकर निर्णय किया जावे। किन्तु न्यायालय ने क्रॉस टी.आई. प्रा0पत्र का जवाब आये बिना ही मूल दावे के साथ पेश टी0आई0 प्र0पत्र पर बहस करने के लिए कहा और बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मैं पहले दावे की टीआई पर फैसला करूंगा इसके बाद काउन्टर क्लेम की टीआई पर जवाब आने के बाद बहस सुनकर फैसला करूंगा। दोनों प्रा0पत्रों का निस्तारण एक नहीं होगा और आगामी पेशी दिनांक 11.01.2024 की दावा के पेश टीआई पर आदेश हेतु नियत कर दी। इसके बाद दिनांक 03.01.2024 को

जिला कलक्टर, अलवर

अप्रार्थी सं0 4 ने गांव में ऐलानिया कहा कि मैं अब दिनांक 11.01.2024 को अपने पक्ष में फैसला करवा लूंगा, क्योंकि बहस तो मैंने करवा ही दी है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्याय की मंशा के खिलाफ उक्त प्रकरण में विशेष रूची लेकर प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि न्यायहित में दोनों टी0आई0 प्रा0पत्र पर एक साथ बहस सुनकर उनका निस्तारण किया जाना आवश्यक था और है। इसलिए प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1, 2 व 4 ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 5 की ओर से पेश टीआई प्रा0पत्र एवं प्रार्थी द्वारा पेश काउन्टर क्लेम के साथ प्रा0पत्र टीआई में दिनांक 02.01.2024 को बहस हो चुकी है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दि0 11.01.2024 की वास्ते निर्णय में नियत की गयी, जिसके उपरांत बदयान्ती पूवक यह प्रा0पत्र मुंतकिली पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम पेश किया गया है वह कानून के अनुरूप नहीं है। चूंकि प्रार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष बउनवान ओमप्रकाश बनाम रामरति पेश किया हुआ है। उक्त वाद व काउन्टर क्लेम समान तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है तथा प्रार्थी व वादी सुमेर आपस में पिता पुत्र है जो साजबाज है। कानूनन प्रार्थी ओमप्रकाश को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष का काउन्टर क्लेम व उसके साथ प्रा0पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। वादी सुमेर सिंह द्वारा सर्वप्रथम उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष पेश किया जिस पर प्रार्थी सुमेर सिंह उक्त वाद को मुंतकिल कराने हेतु श्रीमान के समक्ष मुंतकिल प्रा0पत्र सं0 17/12/2019 पेश किया। उक्त वाद आदेश दिनांक 01.08.2019 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के समक्ष मुंतकिल कर दिया। जिसके उपरांत सुमेर सिंह द्वारा उक्त वाद को मुंतकिल कराने हेतु न्यायालय अति0 जिला कलक्टर अलवर के समक्ष प्रा0पत्र सं0 15/221/2022 पेश किया। जिसमें आदेश दिनांक 13.12.2022 से वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां मुंतकिल किया गया। प्ररकण में नाहक विलम्ब करने की नियत से पीठासीन अधिकारियों से बेजा आरोप लगाते हुए मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रा0पत्र मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया गया है। मिन अप्रार्थी सं0 4 द्वारा कभी भी अपने पक्ष में फैसला कराने हेतु नहीं कहा गया है। जब प्रकरण में अंतिम बहस हो चुकी हो और प्रकरण फैसले में नियत हो तो मुंतकिल प्रा0पत्र पेश नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण के संबंध में एक अपील बउनवान कृष्ण बनाम सुमेर न्यायालय भू0प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष दायर की गई, जिसमें दिनांक 18.08.2019 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रा0पत्र टीआई में दोनों पक्षों को बहस सुनकर शीघ्र निर्णय करने का निर्देश दिया गया है। अतः प्रार्थी को प्रा0पत्र मुंतकिल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 3 ने दौराने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध बार–बार मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किये जाते है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगढन्त व बेबुनियाद है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते बहस नियत है। किन्तु प्रार्थी द्वारा पत्रावली बहस ना करवाई जाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अतः प्रार्थी को प्रा0पत्र मुंतकिल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 5 ने दौराने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगढन्त व बेबुनियाद है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते बहस नियत है। किन्तु प्रार्थी द्वारा पत्रावली बहस ना करवाई जाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध बार–बार मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किये जाते है। अतः प्रार्थी को प्रा0पत्र मुंतकिल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर अलवर ने अपने जवाब/टिप्पणी पेश कर अवगत कराया कि न्यायालय हाजा में लंवित उक्त प्रकरण में मिन प्रार्थी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम व काउन्टर टीआई प्रा0पत्र पेश किया है। जिसकी नकले वादी व अन्य प्रतिवादीगण को दिलाई गयी। पत्रावली स्थगन काउन्टर क्लेम के आदेश में नियत है। दावा काउन्टर क्लेम में पत्रावली वास्ते जवाब नियत है। उक्त पत्रावली जब भी आदेश में आती है मुंतकिल प्रा0पत्र पर पत्रावली विभिन्न न्यायालयों में मुंतकिल होती रही है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर, अलवर

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवगत कराया गया है कि जब भी उक्त वाद वास्ते आदेशार्थ नियत होता है तो जरिये मुंतकिल प्रा0पत्र विभिन्न न्यायालयों में मुंतकित होता रहा है एवं प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)